न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 03 / 2020

निर्णय दिनांकः— 08 .01.2021

उनवान

मोना पुत्री मदन जाति धाकड़ निवासी फिरोजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक —प्रार्थीया

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0) — प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— 1. श्री सुरेन्द्र कुमार धाकड़ वकील प्रार्थीया
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि प्रार्थीया के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 54 ख0न0 36 रकबा 2.03 है0 , ख0न0 652 रकबा 2.09 है0 ,ख0न0 786 / 995 रकबा 0.14 है0 ख0न0 788 / 341 रकबा 0.03 है0,कुल किता 4 कुल रकबा 4.29 है0 हिस्सा 1 / 24 वाके ग्राम फिरोजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है।

प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम मोना पुत्री मदन है जो कि जमाबन्दी खाता संख्या 54 ग्राम फिरोजपुरा सम्वत 2074 — 2077 से प्रमाणित है जिसमें प्रार्थीया का नाम मोना पुत्री मदन अंकित है तथा राशनकार्ड व अन्य दस्तावेजात में भी प्रार्थीया का नाम मोना पुत्र मदन अंकित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया व प्रार्थीया के पिता का नाम सहवन से मोना पुत्री मदन के स्थान पर मीना पुत्री मन्जू अंकित कर दिया गया है, जबकि सही नाम मोना पुत्री मदन है ।

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया व प्रार्थीया के पिता का नाम मोना पुत्री मदन के स्थान पर सहवन से मीना पुत्री मन्जू दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थीया उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विक्रय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थीया की अधियाचना है कि प्रार्थीया के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 54 ख0न0 36 रकबा 2.03 है0 , ख0न0 652 रकबा 2.09 है0 ,ख0न0 786 / 995 रकबा 0.14 है0 ख0न0 788 / 341 रकबा 0.03 है0,कुल किता 4 कुल रकबा 4.29 है0 हिस्सा 1 / 24 वाके ग्राम फिरोजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थीया व प्रार्थीया के पिता का नाम मीना पुत्री मन्जू के स्थान पर मोना पुत्री मदन अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के ग्राम फिरोजपुरा के खाता सं0 54 कुल किता 1 में प्रार्थीया का नाम मीना पुत्री मन्जू जाति धाकड़ दर्ज है। मुताबिक ग्रामवासियान व जाँच से मीना पुत्री मन्जू व मोना पुत्री मदन एक ही व्यक्ति है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 खाता संख्या 54 ख0न0 36 रकबा 2.03 है0 , ख0न0 652 रकबा 2.09 है0 ,ख0न0 786 / 995 रकबा 0.14 है0 ख0न0 788 / 341 रकबा 0.03 है0,कुल किता 4 कुल रकबा 4.29 है0 हिस्सा 1 / 24 वाके ग्राम फिरोजपुरा तहसील उनियारा में प्रार्थीया व प्रार्थीया के पिता का नाम मीना पुत्री मन्जू जाति धाकड़ साकिन फिरोजपुरा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधारकार्ड,भामाशाह कार्ड,परिवार राशनकार्ड में प्रार्थीया व प्रार्थीया के पिता का नाम मोना पुत्री मदन व छाया प्रति मतदाता फोटो पहचान पत्र में प्रार्थीया का नाम मोना दर्ज है। तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी ग्राम फिरोजपुरा के खाता सं0 54 में प्रार्थीया व प्रार्थीया के पिता का नाम मीना पुत्री मन्जू के स्थान पर मोना पुत्री मदन किये जाने की अभिशंषा की गई है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह संयुक्त खाता संख्या 54 वाके ग्राम फिरोजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक में दर्ज **मीना पुत्री मन्जू के स्थान पर मोना पुत्री मदन** दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। अगर इससे किसी वित्तिय या अन्य किसी संस्था व किसी व्यक्ति का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित को सूचित करने के लिए प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी।

यह निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा, जिला टोंक

s.136.92